भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1921

15 दिसम्बर, 2021 को उत्तरार्थ

विषयः देश में सहकारी समितियां

1921. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी:

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय के विजन का ब्यौरा क्या है;

(ख) मंत्रालय सहकारिता से समृद्धि के विजन को कैसे पूरा करने की योजना बना रहा है;

(ग) मंत्रालय सहकारिता आंदोलन को किस प्रकार सुदृढ़ बनाकर जमीनी स्तर तक पहुंचाएगा; और

(घ) देश में मौजूद सहकारी समितियों का ब्यौरा क्या है और उनकी स्थिति क्या है और देश में सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करने के लिये क्या प्रयास किए जा रही हैं ?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (घ) देश में पहले से ही एक समृद्ध सहकारी विरासत और एक मजबूत सहकारी क्षेत्र है। देश में सहकारी क्षेत्र के दो प्रकार के ढांचे हैं यथा - राज्य सहकारी समितियां और बहु-राज्य सहकारी समितियां। बहु-राज्य सहकारी समितियां केंद्र सरकार के अधीन आती हैं और राज्य सहकारी समितियां राज्य सरकारों के अधीन आती हैं। देश में लगभग 8,54,355 सहकारी समितियां हैं (एनसीयूआई, 2018)। तथापि, देश में सहकारी क्षेत्र को नया आयाम देने और नीति और अन्य हस्तक्षेपों के माध्यम से और मजबूत करने के लिए सरकार ने देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करने के लिए नया सहकारिता मंत्रालय बनाया है। इसका उद्देश्य सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचने वाले एक सच्चे जन-आधारित आंदोलन के रूप में गहरा करना और सहकारी आधारित अर्थव्यवस्था मॉडल विकसित करना है जहां प्रत्येक सदस्य जिम्मेदारी की भावना के

साथ काम करे। मंत्रालय को भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली, 1961 के तहत राजपत्र अधिसूचना दिनांक 06.07.2021 में अधिसूचित किया गया निम्नलिखित अधिदेश आवंटित किया गया है:

1. सहकारिता के क्षेत्र में सामान्य नीति और सभी क्षेत्रों में सहकारी गतिविधियों का समन्वय
2. "सहकारिता से समृद्धि की ओर" परिकल्पना को साकार करना,
3. देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करना और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच बढ़ाना,
4. देश के विकास के लिए, अपने सदस्यों के बीच जिम्मेदारी की भावना सहित सहकारी आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देना,
5. सहकारी समितियों को उनकी क्षमता का एहसास कराने में मदद करने के लिए उपयुक्त नीति, कानूनी और संस्थागत ढांचे का निर्माण,
6. राष्ट्रीय सहकारी संगठन से संबंधित मामले,
7. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम,
8. 'बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 39)' के प्रशासन सहित एक राज्य तक सीमित न रही लक्ष्यों वाली सहकारी समितियों का निगमन, विनियमन और समापन,
9. सहकारिता विभागों और सहकारिता संस्थाओं के कर्मियों का प्रशिक्षण (सदस्यों, पदाधिकारियों और गैर-अधिकारियों की शिक्षा सहित) ।

उपरोक्त अधिदेश को पूरा करने के लिए, मंत्रालय ने एक नई सहकारी नीति विकसित करने के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, नाबार्ड और देश भर के प्रमुख सहकारी संस्थानों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श शुरू किया है ताकि इस क्षेत्र को और मजबूत किया जा सके।

*****